



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. MSG/4/2017/STGBH/DELAAL/RU-III

दिनांक: 07-09-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: आवेदक की ग्राम तथा पोस्ट कथुआ सांगरपुर, थाना दरौंदा, जिला—सिवान, स्थित भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कर कब्ज़ा करने के संबंध—श्री मौंशी शाह गोंड, आर जेड -362 / 356, गली नं. 9 शिवपुरी पश्चिम सांगरपुर नई का दिनांक 18.09.2017 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 14/11/2017, स्मरण पत्र दिनांक 19/12/2017

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 28-09-2018 को 4.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सेवा में,

1. समाहर्ता,
जिला—सिवान,
(बिहार)

~~7648-50
10/9/18~~
जारी किया
ISSUED

५८

मुलस अधीक्षक,
जिला—सिवान,
(बिहार)

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष—24615012

प्रतिलिपि:

श्री मौंशी शाह गोंड,
आर जेड -362 / 356, गली नं. 9
शिवपुरी पश्चिम सांगरपुर,
नई दिल्ली 110046